वित्तीय स्वीकृति

संख्या-2/2018/35/52-3-18-बजट(16)/15टी0सी0

प्रेषक,

भवेश रंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 □□□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2018

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा □□□ □0-1506 हेतु वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-एफ-8-19/2016□□ 19, दिनांक 11.09.2017 तथा अपने पत्र सं0-3283/□0□0 □0□□0/□□0□□0/2017, दिनांक 06.11.2017 □□ संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत 1506 नये मदरसों को वर्ष 2015-16 से योजना में लेते हुये भारत सरकार के पत्र सं0-□□-8-19/2016 □□ 19, दिनांक 23.3.2016 द्वारा प्रथम किशत के रूप में रू0 30,53,54,750/- की धनराशि अनुमोदित की गयी थी। जिसे अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 □□ □□□□□□□ □0-□□0□0 33/52-3-16-□□□(10)/16 टी0□□0, दिनांक 10.5.2016 द्वारा आपके निर्वतन पर रखा जा चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-□□-8-19/2016 □□ 19, दिनांक 11.09.2017 द्वारा लाट सं0-1506 मदरसों हेतु (द्वितीय किश्त) की अवशेष धनराशि रू0 30,53,54,750/-अवमुक्त की गयी है जो निम्नवत् है:-

क्रमांक	प्रयोजन	□□□□□□
1	1808 ग्रेजुएट टीचर्स हेतु रू0 6000/- प्रति माह की दर से 12 □□□ □□□□□ □□□□□□□	13,01,76,000
2	2493 पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट विथ बी0एड0 तथा पोस्ट ग्रेजुएट विथ □□0□□0 अध्यापकों हेतु रू0 12,000/- प्रतिमाह की दर से 12 □□□ □□ □□□ □□□□□□□	35,89,92,000
3	1506 मदरसों में पुस्तकालय की स्थापना हेतु प्रति मदरसा रू0 50,000/- एक मुश्त धनराशि	7,53,00,000
4	172 मदरसों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु प्रति मदरसा रू0 1,00,000/- एक मुश्त धनराशि	01,72,00,000
5	1506 मदरसों में सांइस मैथ किट का क्रय हेतु प्रति मदरसा रू0 15,000/- एक मुश्त धनराशि	02,25,90,000
6	4301 शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रति शिक्षक रू0 1500/- की दर से	64,51,500
	□□□	61,07,09,500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	30,53,54,750
	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	30,53,54,750

2. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 03,36,36,90,000/- का आय व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में 0 08,84,05,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा अवशेष धनराशि रू0 03,27,52,85,000/- □□ उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपरोक्त शासनादेशों द्वारा □□□ □0-1506 हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 30,53,54,750/-(रू0 □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□0) निम्नंाकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैः-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से मानदेय/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता □□□ □□□

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं □□□ पर भारत सरकार एवं राज्य स कार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहर□ वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(4) □□□शक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा □□ □□स्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा, जो धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) शिक्षकों के मानदेय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसी अवधि के मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

(6) पूर्व में स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की शर्त के □□□□ यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त के साथ ही साथ प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध

□□□□□/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) कम्प्यूटर प्रयोगशाला हेतु कम्प्यूटर आदि का क्रय, पुस्तकालय की स्थापना हेतु पुस्तकों आदि का क्रय तथा साइंस व मैथ किट आदि का क्रय शासन द्वारा समय≤पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये किया जायेगा।

5. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख -48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के0100/□□0-□0)- 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□-1-1190/ □□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं पत्र र0-12/2017/□-1-1455/ □□-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(□□□ □□□□)
संयुक्त □□□□

संख्या-35/52-3-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त निदेशक(□□0□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भार□ □□□□, शास्त्री भवन, नयी दिल्ली।

2- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, □□□□□□□□

5- कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

6- □□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 □□□□□

7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें, उ0प्र0 □□□□□

8- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□ □

9- वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/नियोज□ □□□□-3 □□□□ □□□□□

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□□ □□□□)
संयुक्त □□□□

1- □□ □□□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।